

F-07-08 F-07-11

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 514 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 514

> विषय/ Sub: बैलेंस कॉक, पार्ट सं.: 101100000/ Balance Cock, Part No.:101100000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड़, एएसईआरडीसी, लखनऊ – 226 016 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ- 226 016 द्वारा उत्पादित "बैलेंस कॉक", पार्ट सं.: 101100000 को संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक: 30 अक्टूबर 1986 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 514 जारी किया गया था। तदुपरांत यह संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-514-आर, दिनांक: 21 नवंबर 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

This is to state that the "Balance Cock" bearing the Part No.: 101100000, designed & developed by M/s Hindustan Aeronautics Limited, ASERDC, Lucknow – 226 016 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow –226 016, was issued with Type Approval No.: 514 vide Reference No.: Aero/RD-132/106/8, dated: 30<sup>th</sup> October 1986. It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-514-R, dated: 21<sup>st</sup> November 2013 with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.

ਪ੍ਰਭ/Page 01 of 03

पृष्ठ/Page 02 of 03 ਟੀ ए सं/.TA No. 514

2. आरसीएमए(लखनऊ) से पत्र सं: आरसीएमए(लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 30 नवम्बर 2018 द्वारा प्राप्त मांग के आधार पर प्राथमिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक: 30 अक्टूबर 1986 के परिशिष्ट-ए के पृष्ट सं. 1 में निम्नलिखित को जोड़िए (तकनीकी विनिर्देश के बाद):

Based on request from RCMA (Lko) vide their letter Ref. No.: RCMA (Lko)/341/3/Tech/4, dated: 30<sup>th</sup> November 2018, in page 1 of Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: Aero/RD-132/106/8, dated: 30<sup>th</sup> October 1986, add the following (after technical specification):

Approved Component Build	101100000, Issue – 1 <b>D</b> ,	
Standard(ACBS) No.:	dated: 27th August 2015	

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2024 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा एचएएल पोस्ट, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> February 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> January 2024 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), DRDO, CEMILAC, C/o HAL Post, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं.: एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक: 30 अक्टूबर 1986 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

ਧੂਬ/Page 03 of 03 ਟੀ ए सਂ/.TA No. 514

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: Aero/RD-132/106/8, dated:  $30^{th}$  October 1986 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु– 560 037 की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-514/2R

दिनांक /Date:

08

February 2019

फैक्स सं./Fax No: 080 - 25230856

Kla H.

पी जयपाल / P.JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)